न्यायालय जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर

विविध बैंक प्रकरण संख्या 152/2024(GCMS : 2024/227)

कोगटा फाईनेशियल (इण्डिया) लिमिटेड, प्लॉट नं. 71, ई ब्लॉक, सैकिण्ड फ्लोर, खारीवाल बिल्डिंग, गऊशाला रोड़, नजदीक शनि मंदिर, श्रीगंगानगर जरिये राहुल सिंह राठौड़ पुत्र श्री शिवदान सिंह राठौड़, पावर ऑफ एर्टोनी होल्डर कोगटा फईनेशियल (इण्डिया) लिमिटेड

बनाम

1. **ईश्वर सिंह** पुत्र श्री हरिकेष, निवासी नजदीक वाल्मिकी मंदिर, गांव श्यामसिंहवाला, पोस्ट ऑफिस धर्मसिंहवाला, 16 बी.एन.डब्ल्यू., सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर **द्वितीय पता** ईश्वर सिंह पुत्र श्री हरिकेष निवासी पोस्ट मिलिट्री स्टेशन लालगढ़ जाटान, तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर
2. **श्रीमती प्रवीण देवी** पत्नी श्री ईश्वर सिंह निवासी वाल्मिकी मंदिर के पास, पोस्ट ऑफिस धर्मसिंहवाला, 16 बी.एन.डब्ल्यू, उद्योग विहार, सादुलशहर जिला श्रीगांगनगर–335002
3. **रिंकु कुमार** पुत्र श्री हरिकेष निवाासी वार्ड नं. 2, श्यामसिंहवाला, 16 बी.एन. डब्ल्यू., सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर–335062
4. **सुभाष चन्द्र** पुत्र श्री राम कुमार निवासी वार्ड नं. 49, मास्टर कॉलोनी, तहसील व जिला श्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

20.11.2024

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी बैंक/कम्पनी ने जरिये अधिवक्ता सुश्री मोनिका नागपाल ने एक प्रार्थना पत्र वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया है कि प्रार्थी बैंक/कम्पनी द्वारा अप्रार्थीगण ईश्वर सिंह , प्रवीण देवी, रिंकु कुमार एवं सुभाष चन्द्र को ऋण सुविधा के रूप में 17,54,931/– रूपये ऋण राशि की स्वीकृति दिनांक 29.0[illegible] को प्रदान की थी, अप्रार्थीगण के खाते में दिनांक 12.07.2024 को 20,03,261 रूपये की राशि बकाया थी। ऋण की सुरक्षा की एवज में **अप्रार्थी ईश्वर सिंह द्वारा बंधक रखी अपनी अचल सम्पत्ति पट्टा नं. 26, बुक नं. 136, ग्राम पंचायत धर्मसिंहवाला, गांव श्यामसिंहवाला (16बीएनडब्ल्यू), उप पंजीयक, सादुलशहर तहसील व ग्राम**

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2024.12.06 16:44:37 IST
Reason: SelfAttested

Manju
जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

पंचायत सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर (36 गुणा 90 फीट) जिसका आसापासा पूर्व में सिंगारा सिंह की सम्पत्ति, पश्चिम में गली, उत्तर में रिंकू की सम्पत्ति एवं दक्षिण में गली है, का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक को पुलिस की सहायता से दिलाया जाने की प्रार्थना की है।

मैने, पत्रावली में उपलब्ध उनके प्रार्थना पत्र धारा 14, शपथ पत्र एवं अन्य उपलब्ध दस्तावेजात का भी अवलोकन किया तो पाया कि उक्त प्रार्थना पत्र के अनुसार प्रार्थी बैंक ने **अप्रार्थीगण ईश्वर सिंह, प्रवीण देवी, रिंकु कुमार एवं सुभाष चन्द्र** को ऋण सुविधा के रूप में 17,54,931/– रूपये **(अखये रूपये सत्रह लाख चौपन हजार हजार नौ सौ इक्तीस मात्र) की स्वीकृति दिनांक 29.09.2022 को प्रदान की थी** ऋण की सुरक्षा की एवज में अप्रार्थी ईश्वर सिंह ने अपनी **अचल सम्पत्ति पट्टा नं. 26, बुक नं. 136, ग्राम पंचायत धर्मसिंहवाला, गांव श्यामसिंहवाला (16बीएनडब्ल्यू), उप पंजीयक, सादुलशहर तहसील व ग्राम पंचायत सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर (36 गुणा 90 फीट) जिसका आसापासा पूर्व में सिंगारा सिंह की सम्पत्ति, पश्चिम में गली, उत्तर में रिंकू की सम्पत्ति एवं दक्षिण में गली है,** को प्रार्थी बैंक के पास रहन रखी। प्रार्थी बैंक के प्रार्थना धारा 14 एवं उसके समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेजात एवं शपथ पत्र के अनुसार अप्रार्थी ऋणी का खाता दिनांक 06.05.2014 को अनर्जक परिसम्पत्ति (एन.पी.ए.) हो गया। बैंक द्वारा अप्रार्थी ऋणियों को धारा 13(2) के नोटिस रजिस्टर्ड डाक से भिजवाये गये थे। पत्रावली में उपलब्ध पोस्ट ऑफिस के ऑनलाईन ट्रैक के अनुसार समस्त अप्रार्थीगण को 13(2) के नोटिस प्राप्त नही हो गए है।

वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अंतर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर कार्रवाई करने के लिए विवादग्रस्त सम्पत्ति जिसका कब्जा चाहा जा रहा है वह सम्बन्धित जिला मजिस्ट्रेट के क्षेत्राधिकार में होना आवश्यक है और दूसरा सम्बन्धित ऋणियों पर धारा 13(2) के नोटिस की तामील ऋणियों/जमानतदारों **पर विधिवत् रूप से होनी आवश्यक है।**

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2024.12.06 16:44:37 IST
Reason: SelfAttested

जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

जहां तक ऋण की एवज में अप्रार्थी ईश्वर सिंह की अचल सम्पत्ति पट्टा नं. 26, बुक नं. 136, ग्राम पंचायत धर्मसिंहवाला, **गांव** श्यामसिंहवाला **(16बीएनडब्ल्यू), उप पंजीयक,** सादुलशहर **तहसील व ग्राम पंचायत सादुलशहर जिला** श्रीगंगानगर **(36 गुणा 90 फीट) जिसका आसापासा पूर्व में सिंगारा सिंह की सम्पत्ति, पश्चिम में गली, उत्तर में रिंकू की सम्पत्ति एवं दक्षिण में गली है,** जो प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी हुई है, का संबध है, वह निम्न हस्ताक्षरकर्ता के क्षेत्राधिकार जिला श्रीगंगानगर में स्थित है। इसलिए वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के तहत निम्न हस्ताक्षरकर्त्ता कार्रवाई करने के लिए सक्षम है।

जहां तक अप्रार्थी ऋणी पर धारा 13(2) के जारी नोटिस की तामील का प्रश्न है। प्रार्थना पत्र के अनुसार दिनांक 13.07.2024 को 60 दिवस में राशि जमा करवाने का धारा 13(2) के नोटिस, अप्रार्थीगण को रजिस्टर्ड डाक से दिनांक 13.07.2024 को ही भिजवाये गये थे, जिसकी रसीद पत्रावली में उपलब्ध है तथा अप्रार्थीगण को धारा 13(2) के नोटिस प्राप्ति के पोस्ट आफिस द्वारा ऑनलाईन ट्रैक भी पत्रावली में उपलब्ध है, जिसके अनुसार समस्त अप्रार्थीगण को धारा 13(2) के नोटिस की तामील होना माना जाना उचित हैं। इसके बावजूद भी अप्रार्थीगण ने बैक की समस्त बकाया ऋण राशि जमा नही करवाई है **और न ही शपथ पत्र के अलावा नोटिस पर कोई आपत्ति या अभ्यावेदन प्रस्तुत किया** है। इसलिए ऋण की सुरक्षा में ऋणी **ईश्वर सिंह** द्वारा प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी गई सम्पत्ति का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक को दिलाया जाना उचित होगा।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2024.12.06 16:44:37 IST
Reason: SelfAttested

Manju
जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

अतः उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी कोगटा फाईनेंशियल (इण्डिया) लिमिटेड का उक्त प्रार्थना पत्र वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 अन्तर्गत धारा 14 **स्वीकार किया जाता है** और अप्रार्थी ऋणी **ईश्वर सिंह द्वारा प्रार्थी बैंक/कम्पनी से प्राप्त ऋण की सुरक्षा की एवज में बंधक रखी गई अचल सम्पत्ति पट्टा नं. 26, बुक नं. 136, ग्राम पंचायत धर्मसिंहवाला, गांव श्यामसिंहवाला(16बीएनडब्ल्यू), उप पंजीयक, सादुलशहर तहसील व ग्राम पंचायत सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर (36 गुणा 90 फीट) जिसका आसापासा पूर्व में सिंगारा सिंह की सम्पत्ति, पश्चिम में गली, उत्तर में रिंकू की सम्पत्ति एवं दक्षिण में गली है, का भौतिक कब्जा जरिये पुलिस की सहायता से प्रार्थी बैंक/कम्पनी को दिलाये जाने के आदेश दिये जाते है।** इस आदेश की प्रति जिला पुलिस अधीक्षक श्रीगंगानगर को इस आदेश के साथ अग्रेषित की जाती है कि प्रार्थी बैंक/कम्पनी को उक्त अचल सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाने हेतु उनके चाहे अनुसार, नियमानुसार पुलिस सहायता उपलब्ध करवाई जावें। सहायता उपलब्ध करवाने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जावे कि उक्त बंधक रखी गई सम्पत्ति किसी भी न्यायालय में विवादित अथवा स्थगन से प्रभावित तो नहीं है। आदेश की प्रति प्रार्थी बैंक व जिला पुलिस अधीक्षक श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तक़मील दाख़िल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 20.11.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Manju
Date: 2024.12.06 16:44:37 IST
Reason: SelfAttested

(डॉ. मन्जू)
जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर